राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 12(6)वित्त/नियम/2005 पार्ट–II

जयपुर, दिनांक : 22 MAY 2017

परिपत्र

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में किये गये वेतन निर्धारण का परीक्षण किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि कई प्रकरणों में राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के वेतन निर्धारण नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं किये गये हैं एवं निम्न प्रकार के प्रकरणों में वेतन स्थिरीकरण बाबत समय समय पर स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है जिसके संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में वेतनमान के स्थान पर रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे का प्रावधान किया गया है जिसमें पदवार न्यूनतम वेतन का प्रावधान नहीं है। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण करने पर उक्त नियमों की अनुसूची–V के अनुसार प्रारम्भिक वेतन देय है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 24 के प्रावधान के अनुसार रनिंग पे बैण्ड वेतन में विद्यमान मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड पे) की तीन प्रतिशत वृद्धि करने तथा पदोन्नति के फलस्वरूप यदि रनिंग पे बैण्ड परिवर्तित होने के कारण उक्त वृद्धि किये जाने पर भी पदोन्नति पद के रनिंग पे बैण्ड के न्यूनतम से कम वेतन होने पर पदोन्नति पद के रनिंग पे बैण्ड के न्यूनतम पर वेतन निर्धारण करने एवं पदोन्नत पद की ग्रेड पे देय किये जाने का प्रावधान है। पदोन्नति पर उक्त प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण करने के स्थान पर उक्त नियमों की अनुसूची–V में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी के द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर देय प्रारम्भिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाना नियमानुसार अनुज्ञेय नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के द्वारा रू. 2800/– तक की ग्रेड पे के पद के कर्मचारियों के लिए रनिंग पे बेण्ड में दिनांक 01.07.2013 को एक बारीय एकमुश्त वृद्धि किये जाने का नियम 29 में प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत रनिंग पे बैण्ड में एक बारीय वृद्धि का लाभ केवल उन कर्मचारियों को देय है जो सीधी भर्ती से नियुक्ति पश्चात् किसी अन्य पद पर पदोन्नत नहीं हुए है अथवा जिन्हें 9 वर्ष से कम की सेवा होने के कारण ए.सी.पी. योजना के तहत (आगामी ग्रेड पे) प्राप्त नहीं हुई है। अन्य कर्मचारियों पर नियम 29 के प्रावधान प्रभावी नहीं होने के कारण उक्त लाभ देय नहीं है। उनकी ग्रेड पे का संशोधन वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। अतः जिन कर्मचारियों की विद्यमान ग्रेड पे दिनांक 01.07.2013 को नियम 29 में वर्णित संशोधित ग्रेड पे से उच्च स्तर पर संशोधित हुई है, उन्हें दिनांक 01.07.2013 को रनिंग पे बैण्ड में एक बारीय एक मुश्त वृद्धि का लाभ अनुज्ञेय नहीं होने से संशोधन अपेक्षित है।
3. वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.12(6)/वित्त/नियम/2005 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 के नीचे परन्तुक जोडकर राज्य सेवा (State Service) के Entry Level पद से उच्चतर पद पर सीधी भर्ती से अनुभव की शर्त के साथ नियुक्ति का संबंधित सेवा

नियमों में प्रावधान होने पर प्रोबेशन अवधि एक वर्ष एवं प्रोबेशन अवधि में पूर्ण वेतन देय होने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संबंधित राज्य सेवा के सेवा नियमों में उक्त प्रावधान होने की स्थिति में लागू होता है किन्तु राज्य सेवा के Entry Level के पद एवं उससे उच्च सीधी भर्ती के पद जिन पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ निर्धारित अनुभव भी अनिवार्य नहीं है उन पदों के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं है। यह प्रावधान मन्त्रालयिक, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की राजकीय सेवा (Government Service) के पदों पर नियुक्ति के मामलों में भी लागू नहीं है। यदि इन सेवाओं में स्थिर पारिश्रमिक के स्थान पर अधिसूचना दिनांक 23.09.2014 के तहत पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है अथवा राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार/किसी अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम के कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है अथवा संबंधित राज्य सेवा के सेवा नियमों में उच्चतर पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि होने तथा पद का वेतन दिये जाने का प्रावधान किये बिना उक्त अधिसूचना दिनांक 23.09.2014 के तहत प्रोबेशन अवधि एक वर्ष किये जाने एवं नियुक्ति दिनांक से पद का वेतनमान दिया जाना त्रुटिपूर्ण है एवं इसमें समुचित संशोधन आवश्यक है।

4. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में ए.सी.पी. के तहत कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अधिक ग्रेड पे प्राप्त करने के आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी की ग्रेड पे का स्टेप अप किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः किसी वरिष्ठ कर्मचारी की ग्रेड पे कनिष्ठ कर्मचारी के समान स्टेपअप किया जाना त्रुटिपूर्ण होने से संशोधन वांछित है।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत करने, वेतनवृद्धि की राशि की गणना त्रुटिपूर्ण होने, ए.सी.पी. के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमित नियुक्ति दिनांक के स्थान पर अन्य किसी दिनांक से गणना कर दिया जाना त्रुटिपूर्ण है।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के समस्त प्रकरणों का उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण परीक्षण करावें तथा वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण होने पर अविलम्ब वेतन निर्धारण को संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान न हो।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. रक्षित पत्रावली।

24/05/2017
संयुक्त शासन सचिव

(RPS, 2008 – 02/2017)